पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 24 जून, 2014 ई0

आषाढ़ 03, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 181/XXXVI(3)/2014/39(1)/2014

देहरादून, 24 जून, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014" पर दिनांक 23 जून, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2014)

अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना और उससे सम्बद्ध और अनुसांगिक विषयों की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 है।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

लागू होना 2. इस अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' के समस्त सीधी भर्ती के पदों पर लागू होंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या अन्य निकाय के समूह 'ग' के पदों को भी आयोग की परिधि में रख सकती हैं अथवा हटा सकती है।

अपवाद 3. इस अधिनियम की कोई बात–

(क) राज्य विधान सभा के सचिवालय में,

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन,

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन,

(घ) उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के अधीन नियुक्त लोकायुक्त के अधीन,

(ङ.) उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम द्वारा शासित, किसी पद पर भर्ती के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

परिभाषायें 4. जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से, किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ख) "आयोग" से, धारा 5 के अधीन गठित उत्तराखण्ड सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है,

(ग) "अध्यक्ष" से, आयोग के अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(घ) "समूह 'ग' के पद" से, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है,

(ड.) "सदस्य" से, आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है,

(च) "सचिव" से आयोग के सचिव अभिप्रेत है,

(ज) "भर्ती का वर्ष" से, किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

अध्याय--दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

5. (1) ऐसे दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जायेगा।

आयोग की संरचना

6. (1) आयोग में एक अध्यक्ष और दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर नियुक्त करें।

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर लें, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें।

अध्यक्ष और सदस्यों की

7. अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे:

नियुक्ति

परन्तु यह कि आयोग के आधे सदस्य यथासाध्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम दस वर्ष तक पद धारण किये हों।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य

8. (1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी,

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप समितियों का गठन करना:

(ख) सदस्यों, समितियों और उप–समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस विधेयक या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो।

(ग) आयोग और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना।

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस विधेयक या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीनस्थ अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

9. (1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छः वर्ष के लिये पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या छः वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीन द्वारा यथाविहित रीति में की गई जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात् कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होंगे के लिये अनर्हता

10. अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाये;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोष सिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो।

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।

सहयुक्त करने की शक्ति

11. आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहें।

आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

12. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि–

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है,

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

आयोग का सचिव

13. (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

14. आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

15. (1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्–

(क) भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्ग–दर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना।

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना।

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जायें।

(2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायें, मार्गदर्शित होगा।

आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य

16. आयोग, अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दें।

अध्याय–चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना

17. (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

(2) रिक्तियां ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेगी जैसी विहित की जाये।

आयोग द्वारा चयन 18. (1) आयोग, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियाँ करेगा।

अध्याय–पांच

आयोग के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय 19. आयोग की किसी बैठक ने सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

गणपूर्ति 20. आयोग की किसी बैठक के लिये सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी:

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय–छः

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट 21. आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति	22.	राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
विनियम बनाने की शक्ति	23.	(1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत इस विधेयक के अधीन चयन करने के लिये परीक्षायें आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिये फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है। (2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम का अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।
सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण	24.	किसी व्यक्ति के विरूद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशायित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 181/XXXVI(3)/2014/39(1)/2014
Dated Dehradun , June 24, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission Bill 2014"** (Adhiniyam Sankhya 20 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23 June, 2014.

THE UTTARAKHAND SUBORDINATE SERVICE SELECTION COMMISSION ACT, 2014

(Uttarakhand Act No. 20 of 2014)

to provide for the establishment of a Sobordinate Services Selection Commission for certain categories for Subordinate Services and for matter connected therewith and incidental thereto.

An
Act

It is Hereby enacted in the sixty five year of the Republic of India, as follows:

CHAPTER - I
PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission Act 2014.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Applicability

2. The provisions of this Act shall apply in relation to direct recruitment to all Group 'C' posts outside the purview of the Public Service Commission. The State Government may by notification add or withdraw any Group 'C' post from the purview of the Commission in a Board or a Corporation or other statutory body established by a controlled by the State Government:

Exception

3. Nothing in the Act shall apply to recruitment to any post-

(a) in the Secretariat of the State Legislature;

(b) under the high court or a Court subordinate thereto;

(c) under the State Public Service Commission;

(d) under the Lok Ayukt appointed under the Uttarakhand Lok Ayukt Act 2014;

(e) under the Uttarakhand Police Act;

Definition 4. in this Act unless the context otherwise requires-

(a) 'Appointing authority' in relation to any service or post, means the authority empowered to make appointment to such service or post;

(b) 'Commission' means the Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission constituted under section 5;

(c) 'Chairman' means the Chairman of the Commission;

(d) 'Group 'C' post' means the post specified as such by the State Government from time to time;

(e) 'Member' means Member of the Commission and includes to Chairman;

(f) "Secretary" means the Secretary of the Commission;

(g) 'Year of recruitment' means the period of twelve months commencing on the first day of July of a Calendar year.

CHAPTER - II
ESTABLISHMENT OF THE COMMISSION

Establishment of the Commission 5. (1) On and from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be Know as the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission.

Composition of the Commission 6. (1) The Commission shall consist of a Chairman and such other Member not exceeding two as the State Government may from time to time appoint;

Provided that member shall be eligible for appointment as Chairman but shall not be eligible for re-appointment or continuance in office either as Member of Chairman after the period of his term.

(2) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman by reason of absence or for any other reason is unable to perform the duties of his office, such duties shall, until some person appointed under sub-section (1) has assumed or, as the case may be until the Chairman has resumed his duties, be performed by Member as the State Government may appoint for the purpose.

Appointment of Chairman and Member

7. The Chairman and other Members shall be appointed by the State Government:

Provided that as nearly as may be one half of the Member of the Commission shall be the persons who on the date of their respective appointment have held office on Group 'A' post for at least ten years under the Government of India or under the State Government.

Powers and duties of Chairman and other Member

8. (1) The Chairman shall be incharge of the administration of the Commission and shall have the power to-

(a) Constitute Committees or sub-committees from amongst the Member with or without one or more non-member;

(b) allocate to Member, committees and sub-committees such work as is not specifically allocated by this bill or rules or regulation made there under;

(c) co-ordinate the working of the Commission and its Member;

(d) grant leave to and approve the tour programmes of Member and Officers of the Commission;

(2) the Member shall assist the Chairman in conduction the examinations and interviews of candidates and do such other work as may be allocated to them by or under this bill, the rules or regulation made there under, or by the Chairman under clause (b) of sub-section (1).

Terms of Office and Conditions of service of Member

9. (1) The Chairman or every other Member shall hold office for a term of six years from the date he assumes his office;

Provided that no Member including the Chairman shall hold office as such after he as attained the age of Sixty five years or he has completed his term, whichever is earlier.

(2) The Chairman or other Member may, at any time, by writing under his hand addressed to the State Government resign from his office.

(3) The Chairman or other Member may he removed from his office by an order made by the State Government on the ground that he has acquired any of the disqualifications specified in section 10 or on the ground of misconduct or incapacity after an inquiry made by a judge of the High Court in the manner as may be prescribed in which such Member has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

Disqualification for being the Chairman or other Member

10. A person shall be disqualified for appointment as Chairman or other Member if he-

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court.

Power to Associate

11. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under this Act, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provision of this bill.

Proceedings of the Commission not to be invalidated

12. No bill or proceeding to the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Commission;

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as the Chairman or other Member thereof;or

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

Secretary of the Commission

13. (1) There shall be a Secretary of the Commission appointed by the State Government, who shall be the Head of the Office of the Commission.

(2) The Secretary shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the rules or regulations made under this Act or as may be directed by the Chairman.

Authentication of the orders of the Commission

14. All the decisions and orders of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary or may other officer authorised by the Commission in this behalf.

CHAPTER - III

POWERS AND DUTIES OF THE COMMISSION AND ALLOCATION OF BUSINESS

Powers and Duties of the Commission

15. (1) The Commission shall have the following powers and duties, namely-

(a) to prepare guidelines on matters relating to method of recruitment;

(b) to conduct examinations, hold interview and make selection of candidates;

(c) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (b);

(d) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed.

(2) In exercising the powers or performing the duties referred to in sub-section (1), the Commission shall be guided by such rules or regulations as may be made in this behalf;

Business to be transacted by Commission

16. The Commission shall, with previous approval of the State Government, make regulations for the convenient transaction of its business, including performance of its functions by the Chairman or other Members or a committee thereof and the business transacted in accordance with such regulations shall be deemed to have been transacted by the Commission;

Provided that it shall be lawful for the State Government to accord approval to any such regulation either in original or in modified form.

CHAPTER - IV

NOTIFICATION OF VACANCIES AND APPOINTMENT

Notification of Vacancies

17. (1) The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled through the Commission during the course of the year of recruitment as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories in accordance with the law for the time being in force in this behalf.

(2) The vacancies shall be notified to the Commission in such manner as may be prescribed.

Selection by the Commission

18. (1) The Commission shall, as soon as possible after the intimation of vacancies under section 17, hold examination or interview or both and prepare in the manner prescribed a list of the candidates who are found suitable;

(2) The list referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the appointing authority and the appointing authority shall make appointments from the list so forwarded to it in the order mentioned therein.

CHAPTER - V
BUSINESS BEFORE THE COMMISSION

Decision in meeting — 19. All matters at any meeting of the Commission shall be determined by a majority of the members present and voting and in the case of equality of votes, the Chairman, or in his absence. The member presiding shall have a second or casting vote.

Quorum — 20. The quorum for a meeting of the Commission shall be one-half of the total number of members:

Provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum.

CHAPTER - VI
ANNUAL REPORTS

Annual Reports — 21. The Commission shall prepare every year, in such form and in such manner as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the State Government, shall cause the same to be laid before the house of the State legislature.

CHAPTER - VII
MISCELLANEOUS

Power to make rules — 22. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make regulations — 23. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government make or amend regulations relating to the discharge of its functions under this Act including charging of fees for holding examinations or interviews or both for making selection under this bill.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith — 24. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be under this Act.

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 26 विधायी / 478–2014–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।